न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 23/2017

अनवान

1. हरिसिंह पुत्र रणजीत जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. दरियासिंह पुत्र रणजीत जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
3. जयमलसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. दलीपसिंह पि0मु0 अमीचन्द जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– असल अप्रार्थीगण

3. सावित्री पत्नी जयमलसिंह जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. कृष्ण पुत्र दरियासिंह जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
5. संजय पुत्र दरियासिंह जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करने रास्ता अन्तर्गत शर्त 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन कण्डिशंस सपठित धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: प्रार्थीगण**

वकील श्री दलवीर बैनीवाल **: अप्रार्थी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 16-5-18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 347/343 के मु0नं0 146 के किला नं0 25, मु0नं0 147 के किला नं0 2, 8 ता 14, 17 ता 23, मु0नं0 164 के किला नं0 1 ता 3, 8 मु0नं0 165 के किला नं0 1 ता 5 कुल 6.312 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी हरिसिंह के नाम से 160–2/3 हिस्सा, दरियासिंह का 80–1/7 हिस्सा, जयमलसिंह का 133–4/7 हिस्सा अप्रार्थीया सावित्री, कृष्ण, संजय का संयुक्त रूप से 125 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

अप्रार्थी सं0 1 की चक 9 जेएसएल के खाता सं0 88/87 के मु0नं0 नं0 147 के किला नं0 16 की 0.253 है0 मु0नं0 1.. के किला नं0 19/1 की 0.202 है0 किला नं0 20/1 की 0.018 है0 किला नं0 20/2 की 0.165 है0 किला नं0 21/1 की 0.076 है0 किला नं0 21/2 की 0.152 है0 किला नं0 .. 25 प्रत्येक की 0.253 है0मु0नं0 162 के किला नं0 11 व 12 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 13 की 0.190 है0 किला नं0 13/2 की 0.063 है0 किला नं0 14 की 0.253 है0 किला नं0 15/2 की 0.164 है0 किला नं0 16 व 17 प्रत्येक की 0.253

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

51

है0 मु0नं0 163 के किला नं0 2 ता 8 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 5.326 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी दलीपसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है।

भादरा बालसमन्द रोड से होकर गांव सागड़ा की तरफ पीडब्लुडी की पक्की डामर रोड़ बनी हुई है। उक्त रोड़ से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में जाते है जो रास्ता उक्त रोड़ से आगे चलकर अप्रार्थी दलीपसिंह की चक 9 जेएसएल के मु0नं0 148 के किला नं0 20/1 व मु0नं0 147 के किला नं0 16 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम चलकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी चक 9 जेएसएल के मु0नं0 147 के किला नं0 17 में प्रवेश करते है। इसके अलावा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में आवागमन का अन्य कोई स्वीकृतशुदा या चालू रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण सदामत से ही इसी रास्ता से होकर अपनी खातेदारी में प्रवेश करते है।

अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी में जाने वाले उक्त किला नं0 20/1 व किला नं0 16 में से जाने वाले रास्ता को अवरूद्ध करने की धमकी दी है यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेंगे जिसके चलते प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी एवं प्रार्थीगण परिवार की आजीविका नहीं चला पायेगे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 स्टेट का जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 3 ता 5 के जबाब की आवश्यकता नहीं है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मैने सड़क से 1.5 किला दूरी तक रास्ता की मांग की है। गिरदावर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में मु0नं0 166 में मेरे खेत तक रास्ता दर्शाया है। मुझे गांव से मुख्य सड़क से होकर खेत तक पहूंचना है। मेरे खेत में पहूंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मु0नं0 165 से मु0नं0 166 तक पहूंचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं रास्ते के बदले भूमि का पैसा देने को तैयार हूं।

वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017(1) पेज सं0 423 गिरदावरी बनाम सुलतानराम, आरआरटी 2014(1) पेज सं0 40, आरआरटी 2016 पेज सं0 440 जगमाल बनाम करनसिंह पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खेत तक पहूंचने हेतु मु0नं0 166 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता है। प्रार्थी के मु0नं0 164 का किला नं0 8 सड़क से 50 फिट की दूरी पर है। इसलिए प्रार्थी द्वारा लघुतम पहूंच के रास्ते की बजाए अधिक दूरी का रास्ता मांगना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्[illegible] कर सकता है। मु0नं0 166 के काश्तकार उस मु0 में [illegible] कर रहे है तो प्रार्थी भी उसका प्रयोग कर सकता है। नए रास्ता खो[illegible]के दो आधार है, 1. वैकल्पिक रास्ता न होना 2. आत्यन्तिक आवश्यकता। [illegible] के स्वयं के मु0 व किला से सड़क हेतु भूमि अवाप्त हुई है, यानि प्रार्थी के खेत से ही सड़क गुजरनी चाहिऐ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:48 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017(1) पेज सं0 423 गिरदावरी बनाम सुलतानराम, आरआरटी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

2014(1) पेज सं0 40, आरआरटी 2016 पेज सं0 440 जगमाल बनाम करनसिंह का ससम्मान अध्ययन किया। धारा 251–ए राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी काश्तकार को नवीन रास्ता स्वीकृत करने हेतु दो आवश्यक आधार है 1. आत्यन्तिक आवश्यकता 2. वैकल्पिक रास्ता का अभाव।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को अपने काश्त तक पहूंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मु0नं0 166 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 से उपलब्ध है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के मु0नं0 165 का किला नं0 1, मु0नं0 166 के किला नं0 5 से चिपता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रार्थी मुख्य सड़क अमरपुरा–सागड़ा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तो मु0नं0 164 के किला नं0 7 से प्रार्थी की काश्त का मु0नं0 164 का किला नं0 8 मात्र 60–90 फीट दूरी पर है, उक्त विकल्प प्रार्थी द्वारा चाहे गये विकल्प से अधिक सुविधाजनक है। प्रस्तावित रास्ते बाबत आत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दु के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, कथन, बहस पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी की आत्यन्तिक आवश्यकता सिद्ध हो सके। प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसलिए प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता को मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु स्वीकृत करवाने का अधिकार नहीं रखता है।

अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0काश्तकारी अधिनियम साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:48 IST
Reason: SelfAttested